

कोटा के महाराजा भीम सिंह, महाराजा ब्रिज राज सिंह, कोटा

बनाम

आयकर आयुक्त, राजस्थान-II, जयपुर

(सिविल अपील क्रमांक 2812/2015)

05 दिसम्बर, 2016

[रंजन गोगोई और अभय मनोहर सप्रे,जे.जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 10 (19 क)-शासक के आवासीय महल पर आय-कर के भुगतान से छूट-आवासीय महल का एक हिस्सा जो किरायेदार के कब्जे में मिला जाता है और शासक के अपने निवास के लिए कब्जे में रहता है-शासक अपने पूरे आवासीय महल के लिए 10 (एल9ए) छूट का हकदार है।या छूट केवल उनके वास्तविक व्यवसाय में महल के उस हिस्से तक ही सीमित होगी- आयोजित: भले ही शासक ने अपने आवासीय महल के हिस्से को किराए पर दे दिया होता, फिर भी वह पूरे महल के संबंध में छूट का आनंद लेता रहता क्योंकि छूट को दो भागों में विभाजित करना संभव नहीं है-एक उसके कब्जे में और दूसरा किरायेदार के कब्जे में-यदि विधानमंडल ने 'महल' को भाग (ओं) में समान रूप से कर लगाने के लिए सदनों को फैलाने का इरादा किया होता, तो यह उचित भाषा का उपयोग करके कहा जाता। 10(19 ए), हालांकि; इसमें ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया गया है- भाग बी राज्य (कराधान रियायतें), आदेश 1950-कंडिका 15 (iii)।

कानूनों की व्याख्या:व्याख्या का नियम-यदि एक ही विषय से संबंधित दो कानून अलग-अलग भाषा का उपयोग करते हैं तो ऐसे अधिनियम की व्याख्या करते समय एक कानून की भाषा को दूसरे पर लागू करने की अनुमति नहीं है-इसी तरह, एक बार जब निर्धारिती दावा करने के लिए धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।अधिनियम के

तहत तब छूट के अनुदान से संबंधित प्रावधान उदारता से किए जाते हैं क्योंकि छूट निर्धारिती के लाभ के लिए होती हैं।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करने में धारा 10 के किसी भी उपखंड के भीतर आने वाली कोई भी आय शामिल नहीं की जाएगी। उपखंड (19 ए) में कहा गया है कि किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य जो किसी शासक के कब्जे में है और जिसका वार्षिक मूल्य विलय किए गए राज्यों (कराधान रियायत) आदेश, 1949 या भाग बी राज्यों (कराधान रियायत) आदेश, 1950 के प्रावधानों के आधार पर संविधान (छब्बीसवां संशोधन) की शुरुआत से पहले आय-कर से मुक्त था, उसे वेतन से छूट दी जाएगी: आय-कर पर। कंडिका 15 (iii) किसी राज्य के शासक के आवासीय महल के वास्तविक वार्षिक मूल्य को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा शासकों की पैतृक संपत्ति घोषित किया जाता है। [पैरा 23,24] [203-ए-सी]

1.2 धारा 10 (19 ए) के तहत शासक के आवासीय महल पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा आदेश के लिए, शासक के लिए यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि पहले वह अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में महल का मालिक है। दूसरे, ऐसा महल उसके निवास के रूप में उसके कब्जे में है; और तीसरा, महल को केंद्र सरकार द्वारा आदेश, 1950 के कंडिका 15 (iii) के तहत आयकर के भुगतान से मुक्त घोषित किया गया है। [पैरा 25] [203-डी]

1.3 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा * भरतचंद्र बंजदेव) के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि भले ही शासक ने अपने आवासीय महल के हिस्से को बाहर कर दिया हो, फिर भी वह पूरे महल के संबंध में छूट का आनंद लेता रहेगा क्योंकि छूट को

दो भागों में विभाजित करना संभव नहीं है, अर्थात्, एक अपने कब्जे में और दूसरा किरायेदार के कब्जे में; और अपीलकर्ता के मामले में * * महाराव भीम सिंह जी के मामले में भरतचंद्र बंजदेव पर उचित रूप से निर्भरता रखते हुए लिया गया। सही दृष्टिकोण है और कोई अन्य दृष्टिकोण लेने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है। जैसा कि भरतचंद्र बंजदेव के मामले में सही माना गया है, आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19 ए) का अर्थ लगाते हुए धन कर अधिनियम की धारा 5 (iii) पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। यह दोनों वर्गों में प्रयुक्त भाषा में उल्लेखनीय अंतर के कारण है। [पारस 32,33] [206-ई-एफ]

आय-कर आयुक्त बनाम भरतचंद्र बंजदेव (1985) 154 आई. टी. आर. 236 (एम. पी.); सी. आई. टी. बनाम. एच. एच. महाराव भीमसिंहजी (1988) 173 आई. टी. आर. 79 (राज)-स्वीकृत।

1.4 आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19 ए), विधानमंडल ने शासक को छूट देने पर विचार करने के लिए "महल" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, जबकि उसी विषय पर, विधानमंडल ने धन कर अधिनियम की धारा एस (iii) में "कोई भी एक इमारत" नामक अलग-अलग अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। धारा 10(19 ए) की व्याख्या करते समय इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो महत्वपूर्ण है। यदि विधायिका का उद्देश्य इस विषय पर कर लगाने के लिए महल को कुछ हिस्सों में विभाजित करना था, तो उसने आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19 ए) में उचित भाषा का उपयोग करके ऐसा कहा होगा। हालाँकि, धारा 10 (19 ए) में ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया गया है। [पैरा 34,35] [207-सी-डी]

1.5 धारा 23 (2) और (3) में "घर या घर का हिस्सा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इस तरह की अभिव्यक्ति को आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19 ए)

में स्थान नहीं मिलता है। इसी तरह, धारा 23 में ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं मिला है, जो विशेष रूप से "महल" से संबंधित मामलों से संबंधित है। आई.टी.अधिनियम की धारा 10 (19ए) और धारा 23 में शब्दों के इस महत्वपूर्ण विचलन से यह भी पता चलता है कि विधानमंडल ने "महल" के कर भाग को भागों में विभाजित करके उसका पालन नहीं किया।[पैरा36] [207-ई]

1.6 यह व्याख्या का एक तय अधिनियम है कि यदि एक ही विषय से संबंधित दो कानून अलग-अलग भाषा का उपयोग करते हैं तो ऐसे कानूनों की व्याख्या करते समय एक कानून की भाषा को दूसरे पर लागू करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, एक बार जब निर्धारित अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के लिए धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में समर्थ हो जाता है, तो छूट देने से संबंधित प्रावधानों का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि छूट प्राप्तकर्ता के लाभ के लिए हैं।[पैरा 37) (207-एफ-जी]

1.7 तत्काल मामले में शामिल प्रश्न पिछले मूल्यांकन वर्षों (1973-74 से 1977-78 तक) में भी उत्पन्न हुआ था और अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया था जब राजस्व द्वारा दायर 2007 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या.3764 को इस न्यायालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए अनुमति दिया गया था। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में जहां राजस्व लगातार इस मुद्दे पर मामला हारता रहा, राजस्व के लिए उच्च न्यायालयों में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने का कोई कम न्यायोचित कारण नहीं था।[पारस 39,40] [208-ए-बी]

1.8 यद्यपि न्यायिक दस्तावेजों का सिद्धांत आयकर कार्यवाही पर लागू नहीं होता है और प्रत्येक निर्धारण वर्ष अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ष है, फिर भी, किसी भी वैध और विश्वसनीय कारण की अनुपस्थिति में राजस्व की ओर से उसी मुद्दे को उच्च

न्यायालयों में फिर से प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं था। गुणागुण के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा निराकृत लिए जाने के बाद इस मुद्दे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत, राजस्व के खिलाफ सभी बल पर तत्काल मामले पर लागू होता है। [पैरा 41] (208-सी-डी)

मेसेर्स राधास्वामी सतसंग, साओमी बाग, आगरा बनाम आयकर आयुक्त (1992) 1 एस. सी. सी. 659:1991(2) पूरक। एस. सी. आर. 312-संदर्भित।

1.9 विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया तर्क और निष्कर्ष कानून के सही सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। प्रश्न का जवाब अपीलकर्ता (निर्धारिती) के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया जाता है। [पैरा 43,45] [208-ई-एफ; 209-बी]

*आयकर आयुक्त बनाम भरतचंद्र बंजदेव (1985) 154 आईटीआर 236 (एमपी); आयकर आयुक्त बनाम भरतचंद्र भंजदेव (1989) 176 आईटीआर 380 (एमपी); * * सीआईटी। वी.एच एच महाराव भीम सिंह जी। (1988) 173 आई. टी. आर. 79 (राज)-स्वीकृत। महारावल लक्ष्मण सिंह बनाम सी. आई. टी. (1986) 160 आई. टी. आर. 103 (राज)-अस्वीकृत।

परशुराम पॉटरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी , सर्कल-1 वार्ड 'ए' राजकोट, गुजरात (1977) 1 एससीसी 408:1977 (2) एस. सी. आर. 92; आयकर आयुक्त बनाम एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2014) 13 एस. सी. सी. 459:2013 (10) एससीआर 490; भारत संघ और अन्य अन्यवुड पेपर्स लिमिटेड. & एम:(1990)

4 सेक 256:1990 (2) एस. सी. आर. 659; मोहम्मद अली खान बनाम सी. आई. टी. (1983) 140 आई. टी. आर. 948 (दिल्ली); आयकर आयुक्त बनाम एच. एच. महाराव भीम सिंह (2002) 124 कर अधिकारी 26-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1991(2) पूरक।एस. सी.आर.312	संदर्भित।	पैरा 14
1977(2) एस. सी. आर.92	संदर्भित।	पैरा 14
2013(10) एस. सी. आर.490	संदर्भित।	पैरा 14
1990(2) एस. सी. आर.659	संदर्भित।	पैरा 15
(1983)140 आई. टी. आर.948 (दिल्ली)	संदर्भित।	पैरा 27
(2002)124 टैक्समैन 26	अनुमोदित	पैरा38
(1986)160 आई. टी. आर.103(राज.)	अस्वीकृत	पैरा 43
(1989)176 आई. टी. आर.380(एम. पी.)	अनुमोदित	पैरा 43
(1985)154 आई. टी. आर. 236(एम. पी.)	अनुमोदित	पैरा 32,33,38,43
(1988) 173 आई. टी. आर. 79 (राज.)	अनुमोदित	पैरा 32,38,43

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी याचिका सं 2812/2015।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आयकर क्रमांक 64/1986 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.03.2014 से।

गोपाल सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, विज्ञापन बनाम।, अपीलकर्ता के लिए।

वाई. पी. अध्यारू, वरिष्ठ अधिवक्ता, एच. राघवेंद्र राव, रुपेश कुमार, एस. ए. हसीब, आर. आर. राजेश, सौम्या सिन्हा, एस. ए. सिद्दीकी, एम. के. मारोरिया, श्रीमती अनिल कटियार, विज्ञापन बनाम विज्ञापन।, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सेप्रे, द्वारा पारित किया गया :-

1. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के डी. बी. आयकर संदर्भ संख्या 64 में मूल्यांकन वर्ष 1978-79 के संबंध में अंतिम आदेश 26.03.2014 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ क्रमांक अपीलकर्ता के खिलाफ यहां निर्दिष्ट कानून के प्रश्न का उत्तर दिया है।ओ

2. अपील में शामिल मुद्दे की सराहना आदेश के लिए, प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता कोटा रियासत का शासक था, जो अब राजस्थान राज्य का हिस्सा है।उनके पास व्यापक संपत्तियाँ थीं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके दो आवासीय महल शामिल थे जिन्हें "उमेद भवन पैलेस" और "सिटी पैलेस" के नाम से जाना जाता था।अपीलकर्ता अपने निवास के लिए उमेद भवन पैलेस का उपयोग कर रहा है।जहाँ तक इस अपील का संबंध है, इसमें शामिल मुद्दा "उमेद भवन पैलेस" के आसपास केंद्रित है।

4. भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 60ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने "भाग बी राज्य (कराधान रियायत) आदेश, 1950" नामक एक आदेश जारी किया (जिसे इसके बाद "आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है)।यह अनिवार्य रूप से छूट, कर की दर में कमी और व्यक्तियों (शासक और उनके परिवार के सदस्यों) द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित विशिष्ट प्रकार

की आय के संबंध में संशोधन प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में असाधारण रूप से 02.12.1950 पर प्रकाशित किया गया था।

5. आदेश का कंडिका 15 विभिन्न प्रकार की छूटों से संबंधित है। कंडिका 15 की मद (iii), जो इस अपील के लिए प्रासंगिक है, यह प्रावधान करती है कि किसी राज्य के शासक के आवासीय महल का वास्तविक वार्षिक मूल्य, जो राज्य के भीतर स्थित है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा उसकी अविभाज्य पैतृक सम्पत्ति के रूप में घोषित किया गया है, आयकर के भुगतान से मुक्त होगा।

6. आदेश के अनुच्छेद 15 की मद (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) क्रमांक एक अधिसूचना जारी की जिसमें सं. S.R.O.1619 दिनांक 14.05.1954 अपीलार्थी के उपरोक्त दो महलों की घोषणा करते हुए, अर्थात्, उमेद भवन और सिटी पैलेस उनके आधिकारिक आवास (तालिका के 21) हैं।

7. आई. डी. 3 पर, रक्षा मंत्रालय ने उमेद भवन पैलेस (आई. डी. 2 एकड़ भूमि जिसमें घर और भूमि पर खड़े अन्य निर्माण शामिल हैं) के हिस्से को अपने उपयोग के लिए और आई. डी. 1,000/- को अवैध संपत्ति अधिनियम, 1952 के अनुरोध और प्रदर्शनी के प्रावधानों को लागू करके किराए के रूप में अधिग्रहित किया। अपीलकर्ता के अनुसार, जिस अवधि के लिए भूमि की मांग की गई थी, वह 1993 में मृत्यु हो गई थी, हालांकि भूमि अभी भी रक्षा मंत्रालय के कब्जे में बनी हुई है।

8. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के साथ, रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई संपत्ति के हिस्से से अपीलकर्ता (निर्धारिती) द्वारा प्राप्त आय की कर योग्यता के संबंध में अपीलकर्ता की आय-कर निर्धारण कार्यवाही में प्रश्न उठा, जो अपीलकर्ता के आधिकारिक निवास (उमेद भवन पैलेस) का एक हिस्सा था। सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा

किराए के रूप में अधिग्रहित संपत्ति से प्राप्त किराये की आय उसके हाथों में कर योग्य है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह था कि क्या अपीलकर्ता आय-कर के भुगतान से आय-कर अधिनियम 1961 (संक्षेप में "आई. टी. अधिनियम") की धारा 10 (1 9 ए) के तहत उसे दी गई छूट का पूरा लाभ प्राप्त करने का हकदार है या यह केवल महल के उस हिस्से तक सीमित है जो निवास के रूप में उसके वास्तविक व्यवसाय में है और बाकी जो निवास में है, कर के भुगतान के अधीन होगा।

9. आयकर आयुक्त (अपील) राजस्थान-11 क्रमांक अपील सं. सी. आई. टी. (ए)/जे. पी. आर./8/81-82 क्रमांक अपीलकर्ता के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि चूंकि अपीलकर्ता विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के दौरान अपक्रमांक आधिकारिक निवास के हिस्से पर कब्जा कर चुका था, इसलिए वह आई. टी. अधिनियम की धारा आई. ओ. (19 ए) के तहत प्रदान की गई अपक्रमांक आधिकारिक निवास के लिए छूट का पूरा लाभ ले क्रमांक का दावा कर क्रमांक का हकदार था, इस तथ्य के बावजूद कि निवास का हिस्सा रक्षा मंत्रालय को दिया जाता है। राजस्व ने व्यथित महसूस करते हुए इस मामले को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के बिना रखा। आदेश दिनांक 11.07.1985 द्वारा, न्यायाधिकरण ने आयकर आयुक्त के आदेश की पुष्टि की और राजस्व की अपील को खारिज कर दिया। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने आई. टी. अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत राजस्व द्वारा किए गए आवेदन पर कानून के निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय को भेजा।

"चाहे तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार में, न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करना न्याय हित कि उर्नद भवन पैलेस से किराये की आय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (19 ए) के तहत छूट दी गई थी।"

10. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के दो फैसलों में इस मामले में निर्दिष्ट प्रश्न पर राय में दरार देखी। एक मामला महारावल लक्ष्मण सिंह बनाम का था। सी. आई. टी., (1986) 160 एल. टी. आर. 103 (राज.) और एक अन्य अपीलार्थी के अपने मामले में था, सी. आई. टी. बनाम एच.एच.महराव भीम सिंहजी (1988) 173 एल. टी. आर. 79 (राज.)। जहाँ तक महरवाल लक्ष्मण सिंह (उपरोक्त) के मामले का संबंध है, उच्च न्यायालय ने राजस्व पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में उस हिस्से का वार्षिक मूल्य जो किरायेदार के कब्जे में था, आय-कर के भुगतान से मुक्त नहीं है और इसलिए, उससे प्राप्त आय को निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाना आवश्यक है, जबकि आई. एल. एच. महाराव भीम सिंह (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय ने राजस्व के खिलाफ प्रश्न का उत्तर दिया और ऐसे स्थिति में निर्धारिती को पूर्ण छूट का दावा करने का अधिकार है। इस तथ्य के बावजूद कार्य करें कि महल का धारा एक किरायेदार को दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उनकी किराये की संपत्ति के हिस्से से प्राप्त कोई भी किराये की आय, इसलिए, कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, खंड पीठ ने दोनों निर्णयों के बीच विरोधाभास को हल करने और निर्दिष्ट प्रश्न के गुणदोषों का उत्तर देने के लिए मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया।

11. दिनांक 26.03.2014 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता (निर्धारिती) के खिलाफ और राजस्व पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया। इस अदालत और उच्च अदालतों के विभिन्न प्राधिकरणों का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. आई. टी. बनाम सी. आई. टी. में निर्धारित कानून। एच.एच.महराव भीम सिंहजी, (सुप्रा) कानून के सही सिद्धांत को निर्धारित नहीं करते हैं,

जबकि महारावल लक्ष्मण सिंह बनाम सी. आई. टी. (सुप्रा) कानून के सही सिद्धांत को निर्धारित करता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब निर्धारिती अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपने आधिकारिक आवासीय महल के कब्जे में बना रहता है, तो वह आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19A) के तहत उपलब्ध छूट का दावा करने का हकदार होगा, लेकिन जब वह मिला जाता है कि उसने अपने आधिकारिक निवास का कोई भी पैसा किराए पर दिया है और साथ ही अपने उपयोग के लिए इसके शेष हिस्से को बनाए रखा है, तो वह पूरे महल के लिए धारा 10 (19A) के तहत उपलब्ध छूट के लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी परिस्थितियों में उसे आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिस्से से प्राप्त आय पर आय-कर का भुगतान करना आवश्यक है और छूट का लाभ केवल उस हिस्से तक उपलब्ध रहता है जो निवास के रूप में उसके व्यवसाय में है। यह इस आदेश के खिलाफ है, निर्धारिती ने यह अपील दायर की है।

12. अपीलकर्ता (निर्धारिती) की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इकार्ड श्री गोपाल सुब्रमण्यम और प्रतिवादी (राजस्व) की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. पी. अध्यारू।

13. श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने विवादित आदेश की वैधता और शुद्धता पर जोर देते हुए तर्क दिया कि हाई सी. ओ. यू. 11 द्वारा प्राप्त तर्क और निष्कर्ष विभिन्न कारणों से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं।

14. सबसे पहले, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील ने आग्रह किया कि जब इस अपील में शामिल प्रश्न, पहले से ही इस अदालत द्वारा पिछले सभी मूल्यांकन वर्षों (1973-74 से 1977-78) में अपीलार्थी पक्ष में निराकृत गया था, तो राजस्व के लिए उच्च न्यायालय में केवल विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष (1978-79) के लिए फिर से उसी

प्रश्न को आगे बढ़ाने का कोई उचित कारण नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि किसी भी स्थिति में उच्च अदालत को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए था और रेफरी को जवाब देना चाहिए था; एच. एच. महाराव भीम सिंहजी (उपरोक्त) के मामले में पहले के निर्णय पर भरोसा करके अपीलार्थी का पक्ष लें। इस प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने मिस राधास्वामी सतसंग, साओमी बाग, आगरा बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, (1992) 1 एस. सी. सी. 659, द परशुराम पॉटरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, सर्कल-1, वार्ड 'ए' राजकोट, गुजरात, (1977) 1 एस. सी. सी. 408 और आयकर आयुक्त बनाम एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2014) 13 एससीसी 459 के फैसलों पर भरोसा रखा।

15. दूसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसमें शामिल मुद्दा आईटी की धारा (19 ए) के तहत आय-कर के भुगतान से निर्धारिती को छूट देने से संबंधित है। आदेश के कंडिका 15 के साथ पठित अधिनियम, ऐसे प्रावधानों को अपवाद माना जाना चाहिए और अभियोग प्रावधानों के विपरीत अपीलार्थी के पक्ष में उदारता से समझा जाना चाहिए, जिनकी सख्ती से व्याख्या की जाती है। रिलायंस को यूनियन अन्य इंडिया एंड अन्य बनाम वुडपेपर्स लिमिटेड और ए. एन. आर., (1990) 4 एस. सी. सी. 256 और अन्य निर्णय के मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था।

16. तीसरे स्थान में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय आदेश की धारा 10 (19 ए), 22 और 23 और कंडिका 15 की व्याख्या करते हुए धन कर अधिनियम, 1957 की धारा एस (iii) में भरोसा करना न्याय हित नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि धन कर अधिनियम की धारा 5 (iii) और 1 की धारा 23। टी. अधिनियम न तो एक दूसरे के साथ समान रूप में होते हैं और न ही समान रूप में शब्दबद्ध होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में उपरोक्त दोनों धाराओं में प्रयुक्त भाषा में अंतर की ओर इशारा किया।

17. चौथे स्थान पर अर्जित अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस अपील में शामिल प्रश्न का उत्तर एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। आय-कर आयुक्त बनाम के मामले में भरतचंद्र बंजदेव, (1985) आई. 54 आई. टी. आर. 236 (एम. पी.) = आई. 986 (27) कर अधिकारी 456 (एम. पी.) ने निर्धारिती का पक्ष लिया। यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा एम.पी. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अलग करने के लिए दिया गया कारण अच्छी तरह से स्थापित है और इससे भी अधिक इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही (उपरोक्त) अपीलार्थी के अपने मामले में। एच.एच.महराव भीम सिंह में भरोसा किया जा चुका है।

18. पांचवें स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 10(19A) और धारा 23 आईटी. अधिनियम के शब्दों में महत्वपूर्ण विचलन है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि धारा 10(19A) उसी अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है जो धारा 23 (2) में होती है, अर्थात्, "ऐसे घर या घर के हिस्से का वार्षिक मूल्य।" विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 10 (19 ए) में इन शब्दों की अनुपस्थिति यह दिखाने के लिए जाता है कि अपीलकर्ता पूरे महल पर लागू छूट का दावा करने का हकदार है, भले ही महल का हिस्सा किरायेदार के कब्जे में हो। यह आग्रह किया गया था कि आईटी अधिनियम की धारा 10 (19 ए) के तहत महल का विभाजन स्वीकार्य नहीं है। हालांकि यह 'घर' में अनुमत है।

19. ये प्रस्तुतियाँ हैं, जिन्हें आईटी. अधिनियम और आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के मामले कानून और व्याख्यात्मक प्रक्रिया के संदर्भ में विद्वान सलाहकार द्वारा विस्तृत किया गया था।

20. जवाब में, प्रतिवादी (राजस्व) के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और इसके समर्थन के लिए प्रार्थना की।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख और लिखित प्रस्तुतियों को देखने के बाद, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए प्रस्तुतियों में बल पाते हैं (जैसे कि:; देखें)।

22. आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (19 ए) और आदेश के कंडिका 15 (iii), जो इस मामले के लिए प्रासंगिक हैं, को नीचे पढ़ा गया है:

आई. टी. अधिनियम की धारा 10(19 ए)

"धारा 10. आय जो कुल आय में शामिल नहीं है।-किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करते हुए, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

(19 क) किसी शासक के कब्जे में किसी एक महल का वार्षिक मूल्य, जो एक महल है, वार्षिक मूल्य जिसका संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले आयकर से छूट थी, विलय किए गए राज्यों (कर: रियायत) आदेश, 1949, या भाग बी राज्यों (कराधान रियायत) आदेश, 1950, या, जैसा भी मामला हो, जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायत) आदेश, 1958 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप: बशर्ते कि 1 अप्रैल, 1972 को शुरू होने वाले निर्धारण

वर्ष के लिए, संबंधित पिछले वर्ष के दौरान ऐसे शासक के कब्जे में ऐसे प्रत्येक महल का वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त होगा;]

आदेश का कंडिका 15

15. छूट-निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को आय-कर और अति-कर से छूट दी जाएगी और उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय या कुल विश्व आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

(i).....।

(ii).....।

(iii) किसी राज्य के शासक के आवासीय महल का प्रामाणिक वार्षिक मूल्य, जो राज्य के अंत में स्थित है, केंद्र सरकार द्वारा उसकी अविभाज्य पैतृक संपत्ति के रूप में घोषित किया जाता है।"

23. धारा 10 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में धारा 10 के किसी भी उपखंड के भीतर आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा। उपखंड (19 ए) में कहा गया है कि किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य जो किसी शासक के कब्जे में है और जिसका वार्षिक मूल्य विलय किए गए राज्यों (कराधान रियायतें) आदेश, 1949 या भाग बी राज्यों (कराधान रियायतें) आदेश, 1950 के प्रावधानों के आधार पर संविधान (छब्बीसवां संशोधन) की शुरुआत से पहले आय-कर से मुक्त था, आय-कर के भुगतान से मुक्त होगा।

24. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कंडिका 15 (iii) किसी राज्य के शासक के आवासीय महल के वास्तविक वार्षिक मूल्य को आयकर के भुगतान से छूट

प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा शासक की पैतृक संपत्ति घोषित किया जाता है।

25. धारा 10(19ए) के तहत शासक के आवासीय महल पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए, शासक के लिए यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि पहले, वह अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में महल का मालिक है; दूसरा, ऐसा महल उसके निवास के रूप में उसके कब्जे में है; और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा आदेश, 1950 के अनुच्छेद 15 (iii) के तहत महल को आयकर के भुगतान से छूट घोषित की गई है।

26. अब, प्रश्न यह उठता है कि जहां आवासीय महल का हिस्सा किरायेदार के कब्जे में मिला जाता है और शेष भाग अपने निवास के लिए शासक के कब्जे में है, क्या ऐसी परिस्थितियों में शासक धारा 10(19A) के तहत अपने पूरे आवासीय महल के लिए छूट का दावा करने का हकदार है या ऐसी छूट केवल महल के उस हिस्से तक सीमित होगी जो उसके वास्तविक कब्जे में है। दूसरे शब्दों में क्या छूट पट्टे के हिस्से पर लागू नहीं होगी, जिसके द्वारा किराए के हिस्से से प्राप्त आय को शासक के हाथों में आय-कर के भुगतान के अधीन किया जाएगा।

27. इसी प्रश्न की एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा भारतचंद्र बंजदेव (उपरोक्त) के मामले में विस्तार से जांच की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धन कर अधिनियम की धारा 5 (iii) पर इस कारण से कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती कि धारा 5 (iii) में प्रयुक्त भाषा आई टी. अधिनियम की धारा 10(19A) की भाषा के समान नहीं है। उनके नेतृत्व ने मोहम्मद अली खान बनाम सी. आई. टी., (1983) 140 आईटी. आर. 948 (दिल्ली) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अलग किया, जो संपत्ति कर अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही शासक ने अपने आवासीय महल के हिस्से को किराए पर दे दिया

हो, फिर भी वह पूरे महल के संबंध में छूट का आनंद लेता रहेगा क्योंकि छूट को दो भागों में विभाजित करना संभव नहीं है, अर्थात्, एक अपने व्यवसाय में और दूसरा किरायेदार के कब्जे में।

28. न्यायाधीश जी. एल. ओझा, विद्वान मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि उनके अधिपत्य थे) ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा:

"8.इसलिए, यह स्पष्ट है कि इस आदेश के तहत एक शासक के सभी महलों से होने वाली आय, जिन्हें आधिकारिक निवास के रूप में घोषित किया जाता है, को छूट दी गई थी। धारा 10 के खंड (19 ए) के तहत, केवल एक कब्जे वाले महल को छूट दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह डब्ल्यू. टी. अधिनियम में "महल" शब्द का उपयोग करने के बजाय उन्होंने "एक शासक के कब्जे में एक इमारत" शब्दों का उपयोग किया है जिसे कर से छूट दी गई है।

9. यह विवाद में नहीं है कि इस संदर्भ में संपत्ति की पूछताछ एक महल है। यह भी विवाद में नहीं है कि इसका एक हिस्सा कब्जे में है। राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र प्रश्न यह है कि यदि महल के केवल एक हिस्से में कब्जा है, तो धारा 10 का खंड (19 ए) के तहत छूट केवल उस हिस्से के लिए उपलब्ध होगी, न कि पूरे के लिए। विलय किए गए राज्यों (कराधान रियायत) आदेश के तहत सम्मिलन द्वारा लाए गए परिवर्तन को ऊपर उद्धृत दो प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। खंड (19 ए) द्वारा, छूट केवल एक महल तक सीमित कर दी गई है जो कब्जे में है। यदि विधानमंडल का और विभाजन करने का इरादा था, तो खंड (19 ए) में

यह प्रावधान किया गया होगा कि कब्जे में महल के ऐसे हिस्से को केवल छूट दी गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा ने आगे विभाजन पर विचार नहीं किया था। मोहम्मद अली खान का मामला: [1983] 140 आई. टी. आर. 948 (दिल्ली), जो कि डब्ल्यू. टी. अधिनियम के तहत एक मामला है, केवल इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या महल, जिसे एक आधिकारिक निवास घोषित किया गया था, में कई इमारतें थीं, क्योंकि डब्ल्यू. टी. अधिनियम के तहत छूट केवल एक इमारत के संबंध में उपलब्ध है जो कब्जे में है और इसलिए, निर्धारिती का तर्क है कि अन्य इमारतें जो कब्जे में नहीं हैं, लेकिन जिन्हें आधिकारिक निवास घोषित किया गया है, उन्हें छूट दी जानी चाहिए। धारा 10 के खंड (19 ए) में "भवन" के स्थान पर प्रयुक्त वाक्यांश "एक महल" है और जहां तक मामले का संबंध है, यह विवादित नहीं है कि यह आधिकारिक निवास केवल एक महल है और एक से अधिक नहीं है। इन परिस्थितियों में हमारी राय में खंड (19 ए) की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि यह महल के कुछ हिस्सों को और विभाजित करने पर विचार करता है। धारा 10 के खंड (19 ए) की भाषा इसे उचित नहीं ठहराती है। यह तय किया जाता है कि छूट के मामलों में अधिनियम की भाषा का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए, लेकिन भले ही इस सिद्धांत पर विचार नहीं किया गया हो, धारा 10 के खंड (19 ए) में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जिनसे महल को भागों में विभाजित करने का इरादा एकत्र किया जाना चाहिए। इसलिए, विषय

वस्तु के इस दृष्टिकोण में, विद्वान सलाहकार द्वारा राजस्व के लिए दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

29. उपरोक्त निर्णय में भरोसा करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम एच. एच. महाराव भीम सिंहजी, (सुप्रा) में अपीलकर्ता के मामले में मूल्यांकन वर्षों (1973-74 से 1977-78) के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में प्रश्न का उत्तर दिया।

30. न्यायाधीश जे. एस. वर्मा, विद्वान मुख्य न्यायाधीश (जैसा कि उनके अधिपत्य थे) पीठ की ओर से बोल रहे थे जो इस प्रकार थी:

"जहाँ तक धारा 10 (19 ए) के तहत दावा की गई छूट से संबंधित पहले प्रश्न का संबंध है, सी. आई. टी. बनाम भारतचंद्र बंजदेव, [1985] 154 आई. टी. आर. 236 (एम. पी.) में एक सीधा निर्णय है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक महल को भागों में विभाजित करना संभव नहीं है ताकि केवल उस हिस्से को छूट दी जा सके जो पूर्व शासक के आधिकारिक निवास के रूप में स्व-व्यवसाय में है और शासक द्वारा किराए पर दिए गए महल के दूसरे हिस्से को छूट का लाभ देने से इनकार किया जा सके, क्योंकि शाही महल को उसका आधिकारिक निवास घोषित किया गया है। तदनुसार, है अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही महल का केवल एक हिस्सा पूर्व शासक के स्व-कब्जे में हो और बाकी को छोड़ दिया गया हो, धारा 10 (19 ए) के तहत उपलब्ध छूट पूरे महल के लिए उपलब्ध होगी। एक विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले निर्णय का हमारे सामने उल्लेख किया गया है। हम उस दृष्टिकोण से हटने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं, जब उस निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण निस्संदेह प्रशंसनीय दृष्टिकोण है। कर अधिनियम के मामले में इन परिस्थितियों में निर्धारिती पक्ष में एक प्रशंसनीय

दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उस निर्णय के बाद, पहला प्रश्न-ए राजस्व के विरुद्ध और निर्धारिती के पक्ष में उत्तर दिया जाना चाहिए।"

31. उपरोक्त दृष्टिकोण का पालन करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाद के मूल्यांकन वर्षों में आई. टी. अधिनियम की धारा 256 (1) के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश देने से इनकार कर दिया और आई. टी. अधिनियम की धारा 256 (2) के तहत राजस्व द्वारा किए गए आवेदन को खारिज कर दिया (देखें-(आयकर आयुक्त बनाम एच. एच. महाराव भीम सिंह (2002) 124 टैक्समैन 26) निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ।

"5. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, इस अदालत ने सी. आई. टी. बनाम मध्य प्रदेश उच्च अदालत के एक अन्य निर्णय का पालन किया है। सी. आई. टी. बनाम भरतचंद्र बंजदेव (1985)154 आईटीआर 236 (एम. पी.) में इस अदालत का निर्णय। एच. एच. महाराव भीमसिंहजी (1988) 173 आई. टी. आर. 79, हमें विद्वान सलाहकार द्वारा सूचित किया जाता है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की गई है।

6. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि धारा 256 (1) के तहत आवेदन न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और आगे विचार के योग्य नहीं है।"

32. हमारी सुविचारित राय में भरतचंद्र बंजदेव (ऊपर) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और महाराव भीमसिंहजी के मामले (सुप्रा) में अपीलकर्ता के मामले में लिया गया दृष्टिकोण, भरतचंद्र बंजदेव के मामले (सुप्रा) पर सही ढंग से भरोसा करना सही दृष्टिकोण है और हमें कोई अन्य दृष्टिकोण रखने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

33. जैसा कि भरतचंद्र बंजदेव (उपरोक्त) के मामले में सही माना गया है, धन कर अधिनियम की धारा एस (iii) पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है, जबकि आईटी. की धारा 10(19ए) का अर्थ लगाया जा सकता है। यह दोनों वर्गों में प्रयुक्त भाषा में उल्लेखनीय अंतर के कारण है। धन कर अधिनियम की धारा 5 (iii) को निम्नानुसार प्रस्तुत करना उचित है:

"5. कुछ परिसंपत्तियों-धन-कर के संबंध में छूट निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में किसी आकलन द्वारा देय नहीं होगी और ऐसी परिसंपत्तियों को निर्धारिती की शुद्ध संपत्ति में शामिल नहीं किया जाएगा।

(i).....

(ii).....

(ग) संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी शासक के कब्जे में कोई भी एक इमारत, जो विलय किए गए राज्यों (कराधान रियायत) आदेश, 1949 के कंडिका 13 या भाग बी राज्यों (कराधान रियायत) आदेश, 1950 के कंडिका 15 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर सतही निवास है।"

34. हम पाते हैं कि आई.टी. की धारा 10(19A) में विधानमंडल ने शासक को छूट देने पर विचार करने के लिए "महल" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है, जबकि उसी विषय पर, विधानमंडल ने धन कर अधिनियम की धारा 5(iii) में "कोई भी एक इमारत" नामक अलग-अलग अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। हम धारा 10(19ए) की व्याख्या

करते समय इस अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे विचार में महत्वपूर्ण है।

35. हमारी सुविचारित राय में यदि विधानमंडल इस विषय पर कर लगाने के लिए महल को आंशिक रूप से, समान रूप से सदनों में विभाजित करने का इरादा रखता है, तो उसने आईटी.अधिनियम की धारा10(19A) में उचित भाषा का उपयोग करके ऐसा कहा होगा। हालाँकि, हम धारा 10(19 ए) में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं पाते हैं।

36. जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील ने ठीक ही बताया है, धारा 23 (2) और (3) में "घर या घर का हिस्सा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इस तरह की अभिव्यक्ति को आईटी. अधिनियम की धारा10(19A) में जगह नहीं मिलती है। इसी तरह, हम धारा 23 में ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं पाते हैं, जो विशेष रूप से "महल" से संबंधित मामलों से संबंधित है। आई. टी. अधिनियम की धारा 10(19 ए) और धारा 23 अल में शब्दों का यह महत्वपूर्ण प्रस्थान। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विधानमंडल का कर लगाने का इरादा नहीं था। "महल" के हिस्से को भागों में विभाजित करके।

37. यह व्याख्या का एक निश्चित अधिनियम है कि यदि एक ही विषय से संबंधित दो कानून अलग-अलग भाषा का उपयोग करते हैं तो ऐसे कानूनों की व्याख्या करते समय एक कानून की भाषा को दूसरे पर लागू करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, एक बार जब निर्धारित अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में समर्थ हो जाता है, तो छूट देने से संबंधित प्रावधानों का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि छूट निर्धारित के लाभ के लिए है।

38. इन तर्कों के आलोक में हमारा मानना है कि भरतचंद्र बंजदेव के मामले (ऊपर) में एम. पी. उच्च न्यायालय और एच. एच. महाराव भीम सिंहजी के मामले (ऊपर) में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।

39. हम यह भी देखते हैं कि इस मामले में शामिल प्रश्न पिछले मूल्यांकन वर्षों (1973-74 से 1977-78 तक) में भी सामने क्रमांक आया था और अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया था जब राजस्व द्वारा दायर 2007 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 3764 को इस अदालत द्वारा 25.08.2010 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए अनुमति दिया गया था।

40. ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में जहां राजस्व लगातार इस मुद्दे पर मामले को खो देता है, हमारे विचार में राजस्व के लिए उच्च न्यायालयों में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने का कोई बहुत कम उचित कारण था।

41. यद्यपि प्रति न्यायिक का सिद्धांत आयकर कार्यवाही पर लागू नहीं होता है और प्रत्येक निर्धारण वर्ष अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ष है, फिर भी, हमारे विचार में किसी भी वैध और विश्वसनीय कारण की अनुपस्थिति में राजस्व की ओर से उसी मुद्दे को उच्च न्यायालयों में फिर से आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। गुणागुण के आधार पर उच्च न्यायालयों द्वारा निराकृत लिए जाने के बाद इस मुद्दे के साथ एक अंतिमता जुड़ी होनी चाहिए। यह सिद्धांत, हमारे विचार में राजस्व के खिलाफ सभी ताकतों पर इस मामले पर लागू होता है। [मिस राधास्वामी सतसंग, सोमी बाग, आगरा का मामला (ऊपर) देखें]।

42. प्रतिवादी (राजस्व) के लिए विद्वान अधिवक्ता हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए हमें मनाने का निष्ठावान प्रयास

करते हैं, लेकिन हमने जो ऊपर माना है, उसके आलोक में हम उनकी दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

43. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित आदेश में जो तर्क और निष्कर्ष निकाला गया है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा महारावल लक्ष्मणसिंह के मामले (उपरोक्त) में लिया गया दृष्टिकोण भी शामिल है, वह जबड़े के सही सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है, जबकि एम. पी. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार आयकर आयुक्त भरतचंद्र भंजदेव (उपरोक्त) बनाम आयकर आयुक्त भरतचंद्र भंजदेव (उपरोक्त) के मामलों में लिया गया है। भरतचंद्र भंजदेव (1989) 176 आई. टी. आर. 380 (एम. पी.) और एच. एच. महाराव भीम सिंहजी (ऊपर) ने कानून का सही सिद्धांत दिया है।

44. यह हमें अपीलार्थी के लिए शिक्षित अधिवक्ता के अंतिम प्रस्तुतिकरण पर ले जाता है जिसने भूमि के हिस्से के संबंध में केंद्र सरकार (रक्षा मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई माँग कार्यवाही की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठाने का एक कमजोर प्रयास किया। यह आग्रह किया गया कि माँग की अवधि समाप्त होने के बाद भी, अपीलकर्ता के हित को नुकसान पहुँचाने के लिए रक्षा मंत्रालय भूमि के कब्जे में बना रहे। कम से कम कहने के लिए, हमारे विचार में इस अपील में यह निवेदन पूरी तरह से गलत है। हमारे विचार में अपीलकर्ता को इस मुद्दे को अपने निर्णय के लिए सक्षम मंच के समक्ष उचित कार्यवाही में उठाना होगा, न कि इस अपील में जो आय-कर कार्यवाही से उत्पन्न होती है और जिसका देश की माँग कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है।

45. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, संदर्भ कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट प्रश्न, जिसमें से यह

अपील उत्पन्न होती है, का उत्तर अपीलार्थी (निर्धारिती) पक्ष में और राजस्व के खिलाफ दिया जाता है।

निधि जैन अप्पिया

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।